## -पिचासी-

## उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 <u>संख्या सं0वि0क0नि0–5–462 / 11–2006–500(92)–2005</u> लखनऊ, दिनांक 23 फरवरी, 2006 अधिसूचना आदेश

प0आ0-64

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे अनुसूची के क्रम संख्या (ग) से (ज) पर उल्लिखित कितपय लिखतों पर वैयक्तिक या पृथक रूप से एक या उससे अधिक स्त्रियों के पक्ष में दस लाख रुपये मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में देय स्टाम्प शुल्क में कमी करते हैं और सरकारी अधिसूचना संख्या क0सं0िव0 7—3706/11—98—500(20)/98, दिनांक 31 अगस्त, 1998 में संशोधन करते हैं.—

### संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची में क्रम संख्या (ख) पर लिखत के पश्चात् निम्नलिखित स्थिति स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

	अनुसूची	
लिखत सीमा	धनराशि	कमी की
1	2	3
(ग), अनुच्छेद 5,	जहां ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित	छः रुपये पच्चीस पैसे से तीन रुपये
अनुबन्ध पत्र या	रकम या मूल्य या उस सम्पत्ति का, जो ऐसे हस्तान्तरण	
अनुबन्ध पत्र का	की विषयवस्तु है, बाजार मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो,	
ज्ञापन	50/— रुपये से अधिक न हो।	
	जहां यह 50/- रुपये से अधिक किन्तु 100/- से अधिक न हो	बारह रुपये पचास पैसे से छः रुपये
	जहां यह 100/- रुपये से अधिक किन्तु 200/- से अधिक न हो	पच्चीस रुपये से बारह रुपये
	जहां यह 200/- रुपये से अधिक किन्तु 300/- से अधिक न हो	सैंतीस रुपये पचास पैसे से अठारह रुपये
	जहां यह 300/- रुपये से अधिक किन्तु 400/- से अधिक न हो	पचास रुपये से चौबीस रुपये
	जहां यह 400/- रुपये से अधिक किन्तु 500/- से अधिक न हो	बासठ रुपये पचास पैसे से तीस रुपये
	जहां यह 500/- रुपये से अधिक किन्तु 600/- से अधिक न हो	पचहत्तर रुपये से छत्तीस रुपये
	जहां यह 600/- रुपये से अधिक किन्तु 700/- से अधिक न हो	सतासी रुपये पचास पैसे से बयालीस
रुपये		
	जहां यह 700/- रुपये से अधिक किन्तु 800/- से अधिक न हो	एक सौ रुपये से अड़तालीस रुपये

	जहां यह 800/- रुपये से अधिक किन्तु 900/- से अधिक न हो	एक सौ बारह रुपये पचास पैसे से चौवन
रुपये	100 40 000/ - 244 ti silah 147g 300/ - ti silah 1 61	र्थ ता बार्ड रुपय प्रयास प्रस स यापा
रुपय	जहां यह 900/- रुपये से अधिक किन्तु 1000/- से अधिक न हो	एक सौ पच्चीस रुपये से साट रुपये
		९५७ सा पव्यास रुपय स साठ रुपय
	और 1000/— रुपये से अधिक प्रत्येक 1000/— रुपये या उसके	_ 4 _ 0 \ \ \
()	भाग के लिए	एक सौ पच्चीस रुपये से साठ रुपये
(घ), अनुच्छेद 18,	जहां ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य	छः रुपये पच्चीस पैसे से तीन रुपये
विक्रय का प्रमाण	या उस सम्पत्ति का, जो ऐसे हस्तान्तरण की विषयवस्तु है, बाजार मूल्य	
पत्र	इनमें से जो भी अधिक हो, 50/— रुपये से अधिक न हो।	
	जहां यह 50/- रुपये से अधिक किन्तु 100/- से अधिक न हो	बारह रुपये पचास पैसे से छः रुपये
	जहां यह 100/— रुपये से अधिक किन्तु 200/— से अधिक न हो	पच्चीस रुपये से बारह रुपये
	जहां यह 200/- रुपये से अधिक किन्तु 300/- से अधिक न हो	सैंतीस रुपये पचास पैसे से अठारह रुपये
जहां यह 300/- रुपये से अधि	क किन्तु 400/- से अधिक न हो	पचास रुपये से चौबीस रुपये
	जहां यह 400/- रुपये से अधिक किन्तु 500/- से अधिक न हो	बासट रुपये पचास पैसे से तीस रुपये
	जहां यह 500/- रुपये से अधिक किन्तु 600/- से अधिक न हो	पचहत्तर रुपये से छत्तीस रुपये
	जहां यह 600/- रुपये से अधिक किन्तु 700/- से अधिक न हो	सतासी रुपये पचास पैसे से बयालीस
रुपये		
	जहां यह 700/— रुपये से अधिक किन्तु 800/— से अधिक न हो	एक सौ रुपये से अड़तालीस रुपये
	जहां यह 800/- रुपये से अधिक किन्तु 900/- से अधिक न हो	एक सौ बारह रुपये पचास पैसे से चौवन
रुपये		
	जहां यह 900/- रुपये से अधिक किन्तु 1000/- से अधिक न हो	एक सौ पच्चीस रुपये से साट रुपये
	और 1000/- रुपये से अधिक प्रत्येक 1000/- रुपये या उसके	
	भाग के लिए	एक सौ पच्चीस रुपये से साट रुपये
(ङ), अनुच्छेद 23	जहां ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य	छः रुपये पच्चीस पैसे से तीन रुपये
खण्ड (क)	या उस सम्पत्ति का, जो ऐसे हस्तान्तरण की विषयवस्तु है, बाजार मूल्य	
हस्तान्तरण	इनमें से जो भी अधिक हो, 50/— रुपये से अधिक न हो।	
	जहां यह 50/- रुपये से अधिक किन्तु 100/- से अधिक न हो	बारह रुपये पचास पैसे से छः रुपये
	जहां यह 100/- रुपये से अधिक किन्तु 200/- से अधिक न हो	पच्चीस रुपये से बारह रुपये
	जहां यह 200/- रुपये से अधिक किन्तु 300/- से अधिक न हो	सैंतीस रुपये पचास पैसे से अठारह रुपये
	जहां यह 300/- रुपये से अधिक किन्तु 400/- से अधिक न हो	पचास रुपये से चौबीस रुपये
	जहां यह 400/- रुपये से अधिक किन्तु 500/- से अधिक न हो	बासठ रुपये पचास पैसे से तीस रुपये
	जहां यह 500/- रुपये से अधिक किन्तु 600/- से अधिक न हो	पचहत्तर रुपये से छत्तीस रुपये
	जहां यह 600/- रुपये से अधिक किन्तु 700/- से अधिक न हो	सतासी रुपये पचास पैसे से बयालीस
रुपये	old at 000/ Via (1 oldar lary 100/ 1 oldar 1 di	पताता राज गणात गत स जनाताता
V14	जहां यह 700/- रुपये से अधिक किन्तु 800/- से अधिक न हो	एक सौ रुपये से अड़तालीस रुपये
	जहां यह 2007 — रुपय से आधक किन्तु 2007 — से आधक न है। जहां यह 8007 — रुपये से अधिक किन्तु 2007 — से अधिक न हो	एक सौ बारह रुपये पचास पैसे से चौवन
<del></del>	णांता पर am/ — रंपप त्र आवयः ।यग्यु अm/ — त्र आवयः न हा	५५७ ता बारह रुपय पयास पस स यापन
रुपये	ज्यां ग्रह ००० / क्यापो से अधिक किन्तु ४००० / से अधिक र ने	एक सौ पच्चीस रुपये से साट रुपये
	जहां यह 900/— रुपये से अधिक किन्तु 1000/— से अधिक न हो और 1000/— रुपये से अधिक प्रत्येक 1000/— रुपये या उसके	८४७ या मञ्जास रुपय स साठ रुपय
()	भाग के लिए	एक सौ पच्चीस रुपये से साठ रुपये
(च), अनुच्छेद ३१,	जहां ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य	छः रुपये पच्चीस पैसे से तीन रुपये

सम्पत्ति का	या उस सम्पत्ति का, जो ऐसे हस्तान्तरण की विषयवस्तु है, बाजार मूल्य	
विनिमय	इनमें से जो भी अधिक हो, 50/— रुपये से अधिक न हो।	
	जहां यह 50/- रुपये से अधिक किन्तु 100/- से अधिक न हो	बारह रुपये पचास पैसे से छः रुपये
	जहां यह 100/- रुपये से अधिक किन्तु 200/- से अधिक न हो	पच्चीस रुपये से बारह रुपये
	जहां यह 200/- रुपये से अधिक किन्तु 300/- से अधिक न हो	सैंतीस रुपये पचास पैसे से अठारह रुपये
	जहां यह 300/- रुपये से अधिक किन्तु 400/- से अधिक न हो	पचास रुपये से चौबीस रुपये
	जहां यह 400/- रुपये से अधिक किन्तु 500/- से अधिक न हो	बासठ रुपये पचास पैसे से तीस रुपये
	जहां यह 500/- रुपये से अधिक किन्तु 600/- से अधिक न हो	पचहत्तर रुपये से छत्तीस रुपये
	जहां यह 600/- रुपये से अधिक किन्तु 700/- से अधिक न हो	सतासी रुपये पचास पैसे से बयालीस
रुपये		
	जहां यह 700/- रुपये से अधिक किन्तु 800/- से अधिक न हो	एक सौ रुपये से अड़तालीस रुपये
	जहां यह 800 /- रुपये से अधिक किन्तु 900 /- से अधिक न हो	एक सौ बारह रुपये पचास पैसे से चौवन
रुपये		
	जहां यह 900/— रुपये से अधिक किन्तु 1000/— से अधिक न हो	एक सौ पच्चीस रुपये से साठ रुपये
	और 1000/- रुपये से अधिक प्रत्येक 1000/- रुपये या उसके	
	भाग के लिए	एक सौ पच्चीस रुपये से साठ रुपये
(छ), अनुच्छेद	जहां ऐसे इस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य	छः रुपये पच्चीस पैसे से तीन रुपये
33 दान	या उस सम्पत्ति का, जो ऐसे हस्तान्तरण की विषयवस्तु है, बाजार मूल्य	
	इनमें से जो भी अधिक हो, 50/— रुपये से अधिक न हो।	
	जहां यह 50/- रुपये से अधिक किन्तु 100/- से अधिक न हो	बारह रुपये पचास पैसे से छः रुपये
	जहां यह 100/- रुपये से अधिक किन्तु 200/- से अधिक न हो	पच्चीस रुपये से बारह रुपये
	जहां यह 200/— रुपये से अधिक किन्तु 300/— से अधिक न हो	सैंतीस रुपये पचास पैसे से अठारह रुपये
	जहां यह 300/- रुपये से अधिक किन्तु 400/- से अधिक न हो	पचास रुपये से चौबीस रुपये
	जहां यह 400/— रुपये से अधिक किन्तु 500/— से अधिक न हो	बासठ रुपये पचास पैसे से तीस रुपये
	जहां यह 500/- रुपये से अधिक किन्तु 600/- से अधिक न हो	पचहत्तर रुपये से छत्तीस रुपये
	जहां यह 600/- रुपये से अधिक किन्तु 700/- से अधिक न हो	सतासी रुपये पचास पैसे से बयालीस
रुपये		
	जहां यह 700/- रुपये से अधिक किन्तु 800/- से अधिक न हो	एक सौ रुपये से अड़तालीस रुपये
	जहां यह 800/— रुपये से अधिक किन्तु 900/— से अधिक न हो	एक सौ बारह रुपये पचास पैसे से चौवन
रुपये		
	जहां यह 900/- रुपये से अधिक किन्तु 1000/- से अधिक न हो	एक सौ पच्चीस रुपये से साठ रुपये
	और 1000/- रुपये से अधिक प्रत्येक 1000/- रुपये या उसके	
	भाग के लिए	एक सौ पच्चीस रुपये से साठ रुपये
(ज), अनुच्छेद ३५	जहां ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य	छः रुपये पच्चीस पैसे से तीन रुपये
पट्टा के खण्ड	या उस सम्पत्ति का, जो ऐसे हस्तान्तरण की विषयवस्तु है, बाजार मूल्य	
(क) (दो) से (छः)	इनमें से जो भी अधिक हो, 50/— रुपये से अधिक न हो।	
(ख) (ग)	जहां यह 50/- रुपये से अधिक किन्तु 100/- से अधिक न हो	बारह रुपये पचास पैसे से छः रुपये
	जहां यह 100/- रुपये से अधिक किन्तु 200/- से अधिक न हो	पच्चीस रुपये से बारह रुपये
	जहां यह 200/- रुपये से अधिक किन्तु 300/- से अधिक न हो	सैंतीस रुपये पचास पैसे से अठारह रुपये
	जहां यह 300/- रुपये से अधिक किन्तु 400/- से अधिक न हो	पचास रुपये से चौबीस रुपये

जहां यह 400/- रुपये से अधिक किन्तु 500/- से अधिक न हो बासट रुपये पचास पैसे से तीस रुपये जहां यह 500/- रुपये से अधिक किन्तु 600/- से अधिक न हो पचहत्तर रुपये से छत्तीस रुपये जहां यह 600/- रुपये से अधिक किन्तु 700/- से अधिक न हो सतासी रुपये पचास पैसे से बयालीस रुपये जहां यह 700/- रुपये से अधिक किन्तु 800/- से अधिक न हो एक सौ रुपये से अडतालीस रुपये जहां यह 800/- रुपये से अधिक किन्तु 900/- से अधिक न हो एक सौ बारह रुपये पचास पैसे से चौवन रुपये जहां यह 900/- रुपये से अधिक किन्तु 1000/- से अधिक न हो एक सौ पच्चीस रुपये से साठ रुपये और 1000 / - रुपये से अधिक प्रत्येक 1000 / - रुपये या उसके भाग एक सौ पच्चीस रुपये से साट रुपये

(ख) अन्त में आये हुए परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात,-

परन्तु यह कि यदि क्रम संख्या (ग) से (ज) पर उल्लिखित लिखतों के सम्बन्ध में किसी स्त्री के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक निर्धारित किया जाता है तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना दस लाख रुपये के मूल्य के स्तम्भ—3 में प्रत्येक लिखत के सामने उल्लिखित दर पर की जाएगी और दस लाख रुपये से अधिक पर स्टाम्प शुल्क की गणना अरसी रुपये प्रति हजार की दर से की जाएगी एक स्त्री या उससे अधिक स्त्रियों और एक पुरुष या उससे अधिक पुरुषों के पक्ष में निष्पादित अन्तरण विलेख में यदि स्त्री / स्त्रियों का अंश विनिर्दिष्ट हो तो अपर स्तम्भ—1 में उल्लिखित ऐसी लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क में स्तम्भ—3 में स्त्री / स्त्रियों के यथा उल्लिखित अंश की सीमा तक कमी कर दी जाएगी किन्तु यदि स्त्री / स्त्रियों का ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है तो लिखत पर स्टाम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा मानो ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकृत न की गयी हो।

आज्ञा से, ह0अस्पष्ट शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government-notificationThe Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government-notification no. S.V.K.N. 5462/XI-2006-500(92)-2005 dated February 23, 2006 for general information.

# No. S.V.K.N.5-462/XI-2006-500(92)-2005 <u>Lucknow, Dated February 23, 2006</u> <u>Notification</u> <u>Order</u>

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its aplication to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to reduce with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty in respect of transfer of immovable property for a value of rupees ten

lakh in favour of one or more women individually or severally on certain instruments mentioned at serial nos. (c) to (h) of the schedule below and to amend Government notification no. K.S.V.5-3706-11-98-500(20)-98 dated, August 31, 1998;-

#### **AMENDMENT**

In the aforesaid notification,-

(a) in the Schedule after instrument at serial (b), the following instruments shall columnwise be inserted, namely;-

Instruments	Amount	Extent of reduction
1	2	3
(c) Article 5,	Where the amount or value of the consideration of such	from Rs. 6.25 to Rs. 3
Agreement of	conveyance as set forth therein or the market value of the	
memorandum	property, which is the subject matter of such conveyance,	
of an	whichever is greater, does not exceed Rs. 50/-	
agreement,		
	where it exceeds Rs. 50/- but does not exceed Rs. 100/-	from Rs. 12.50 to Rs. 6
	where it exceeds Rs. 100/- but does not exceed Rs. 200/-	from Rs. 25 to Rs. 12
	where it exceeds Rs. 200/- but does not exceed Rs. 300/-	from Rs. 37.50 to Rs. 18
	where it exceeds Rs. 300/- but does not exceed Rs. 400/-	from Rs. 50 to Rs. 24
	where it exceeds Rs. 400/- but does not exceed Rs. 500/-	from Rs. 62.50 to Rs. 30
	where it exceeds Rs. 500/- but does not exceed Rs. 600/-	from Rs. 75 to Rs. 36
	where it exceeds Rs. 600/- but does not exceed Rs. 700/-	from Rs. 87.50 to Rs. 42
	where it exceeds Rs. 700/- but does not exceed Rs. 800/-	from Rs. 100 to Rs. 48
	where it exceeds Rs. 800/- but does not exceed Rs. 900/-	from Rs. 112.50 to Rs. 54
	where it exceeds Rs. 900/- but does not exceed Rs. 1000/-	from Rs. 125 to Rs. 60
	and for every Rs. 1000/- or part there of in excess of	from Rs. 125 to Rs. 60
(d) Autiala 10	Rs. 1000/- Where the amount or value of the consideration of such	from Rs. 6.25 to Rs. 60
(d) Article 18 Certificate of	conveyance as set forth therein or the market value of the	110111 KS. 0.23 to KS. 3
sale	property, which is the subject matter of such conveyance,	
saic	whichever is greater, does not exceed Rs. 50/-	
	where it exceeds Rs. 50/- but does not exceed Rs. 100/-	from Rs. 12.50 to Rs. 6
	where it exceeds Rs. 100/- but does not exceed Rs. 200/-	from Rs. 25 to Rs. 12
	where it exceeds Rs. 200/- but does not exceed Rs. 200/-	from Rs. 37.50 to Rs. 18
	where it exceeds Rs. 300/- but does not exceed Rs. 400/-	from Rs. 50 to Rs. 24
	where it exceeds Rs. 400/- but does not exceed Rs. 500/-	from Rs. 62.50 to Rs. 30
	where it exceeds Rs. 500/- but does not exceed Rs. 600/-	from Rs. 75 to Rs. 36
	where it exceeds Rs. 600/- but does not exceed Rs. 700/-	from Rs. 87.50 to Rs. 42
	where it exceeds Rs. 700/- but does not exceed Rs. 800/-	from Rs. 100 to Rs. 48
	where it exceeds Rs. 800/- but does not exceed Rs. 900/-	from Rs. 112.50 to Rs. 54
	where it exceeds Rs. 900/- but does not exceed Rs. 1000/-	from Rs. 125 to Rs. 60
	and for every Rs. 1000/- or part there of in excess of	
	Rs. 1000/-	from Rs. 125 to Rs. 60
(e) Article 23	Where the amount or value of the consideration of such	from Rs. 6.25 to Rs. 3
clause (a)	conveyance as set forth therein or the market value of the	
Conveyance,	property, which is the subject matter of such conveyance,	
•	whichever is greater, does not exceed Rs. 50/-	
	where it exceeds Rs. 50/- but does not exceed Rs. 100/-	from Rs. 12.50 to Rs. 6
	where it exceeds Rs. 100/- but does not exceed Rs. 200/-	from Rs. 25 to Rs. 12
	where it exceeds Rs. 200/- but does not exceed Rs. 300/-	from Rs. 37.50 to Rs. 18
	where it exceeds Rs. 300/- but does not exceed Rs. 400/-	from Rs. 50 to Rs. 24
	where it exceeds Rs. 400/- but does not exceed Rs. 500/-	from Rs. 62.50 to Rs. 30
	where it exceeds Rs. 500/- but does not exceed Rs. 600/-	from Rs. 75 to Rs. 36
	where it exceeds Rs. 600/- but does not exceed Rs. 700/-	from Rs. 87.50 to Rs. 42
	where it exceeds Rs. 700/- but does not exceed Rs. 800/-	from Rs. 100 to Rs. 48
	where it exceeds Rs. 800/- but does not exceed Rs. 900/-	from Rs. 112.50 to Rs. 54
	where it exceeds Rs. 900/- but does not exceed Rs. 1000/-	from Rs. 125 to Rs. 60
where it exceeds Rs	s. 900/- but does not exceed Rs. 1000/-	from Rs. 125 to Rs. 60
	and for every Rs. 1000/- or part there of in excess of	
	Rs. 1000/-	from Rs. 125 to Rs. 60

(f) Article 31,	Where the amount or value of the consideration of such	from Rs. 6.25 to Rs. 3
Exchange of	conveyance as set forth therein or the market value of the	
property,	property, which is the subject matter of such conveyance,	
	whichever is greater, does not exceed Rs. 50/-	
	where it exceeds Rs. 50/- but does not exceed Rs. 100/-	from Rs. 12.50 to Rs. 6
	where it exceeds Rs. 100/- but does not exceed Rs. 200/-	from Rs. 25 to Rs. 12
	where it exceeds Rs. 200/- but does not exceed Rs. 300/-	from Rs. 37.50 to Rs. 18
	where it exceeds Rs. 300/- but does not exceed Rs. 400/-	from Rs. 50 to Rs. 24
	where it exceeds Rs. 400/- but does not exceed Rs. 500/-	from Rs. 62.50 to Rs. 30
	where it exceeds Rs. 500/- but does not exceed Rs. 600/-	from Rs. 75 to Rs. 36
	where it exceeds Rs. 600/- but does not exceed Rs. 700/-	from Rs. 87.50 to Rs. 42
	where it exceeds Rs. 700/- but does not exceed Rs. 800/-	from Rs. 100 to Rs. 48
	where it exceeds Rs. 800/- but does not exceed Rs. 900/-	from Rs. 112.50 to Rs. 54
	where it exceeds Rs. 900/- but does not exceed Rs. 1000/-	from Rs. 125 to Rs. 60
	and for every Rs. 1000/- or part there of in excess of	
	Rs. 1000/-	from Rs. 125 to Rs. 60
(g) Article 33,	Where the amount or value of the consideration of such	from Rs. 6.25 to Rs. 3
Gift,	conveyance as set forth therein or the market value of the	1101111011012010110110
Girt,	property, which is the subject matter of such conveyance,	
	whichever is greater, does not exceed Rs. 50/-	
	where it exceeds Rs. 50/- but does not exceed Rs. 100/-	from Rs. 12.50 to Rs. 6
	where it exceeds Rs. 100/- but does not exceed Rs. 200/-	from Rs. 25 to Rs. 12
	where it exceeds Rs. 200/- but does not exceed Rs. 200/-	from Rs. 37.50 to Rs. 18
	where it exceeds Rs. 300/- but does not exceed Rs. 400/-	from Rs. 50 to Rs. 24
	where it exceeds Rs. 400/- but does not exceed Rs. 500/-	from Rs. 62.50 to Rs. 30
	where it exceeds Rs. 400- but does not exceed Rs. 500- where it exceeds Rs. 500- but does not exceed Rs. 600-	from Rs. 75 t o Rs. 36
	where it exceeds Rs. 600/- but does not exceed Rs. 700/- where it exceeds Rs. 700/- but does not exceed Rs. 800/-	from Rs. 87.50 to Rs. 42
		from Rs. 100 to Rs. 48
	where it exceeds Rs. 800/- but does not exceed Rs. 900/-	from Rs. 112.50 to Rs. 54
	where it exceeds Rs. 900/- but does not exceed Rs. 1000/-	from Rs. 125 to Rs. 60
	and for every Rs. 1000/- or part there of in excess of	C D . 125 to D . 60
4) 4	Rs. 1000/-	from Rs. 125 to Rs. 60
(h) Article 35,	Where the amount or value of the consideration of such	from Rs. 6.25 to Rs. 3
clause (a) (ii)	conveyance as set forth therein or the market value of the	
to (vi) (b) (c),	property, which is the subject matter of such conveyance,	
Lease	whichever is greater, does not exceed Rs. 50/-	
	where it exceeds Rs. 50/- but does not exceed Rs. 100/-	from Rs. 12.50 to Rs. 6
	where it exceeds Rs. 100/- but does not exceed Rs. 200/-	from Rs. 25 to Rs. 12
	where it exceeds Rs. 200/- but does not exceed Rs. 300/-	from Rs. 37.50 to Rs. 18
	where it exceeds Rs. 300/- but does not exceed Rs. 400/-	from Rs. 50 to Rs. 24
	where it exceeds Rs. 400/- but does not exceed Rs. 500/-	from Rs. 62.50 to Rs. 30
	where it exceeds Rs. 500/- but does not exceed Rs. 600/-	from Rs. 75 to Rs. 36
	where it exceeds Rs. 600/- but does not exceed Rs. 700/-	from Rs. 87.50 to Rs. 42
	where it exceeds Rs. 700/- but does not exceed Rs. 800/-	from Rs. 100 to Rs. 48
	where it exceeds Rs. 800/- but does not exceed Rs. 900/-	from Rs. 112.50 to Rs. 54
	where it exceeds Rs. 900/- but does not exceed Rs. 1000/-	from Rs. 125 to Rs. 60
	and for every Rs. 1000/- or part there of in excess of	
	Rs. 1000/-	from Rs. 125 to Rs. 60
(b) for the	provise appearing in the end, the following provise shall be s	substituted namely:

(b) for the proviso appearing in the end, the following proviso shall be substituted, namely;-

Provided that if the transfer deed in favour of a woman with respect to the instruments mentioned at serial no. (c) to (h) is valued more than ten lakh rupees, the stamp duty thereon shall be calculated at the rate mentioned against each instrument in column-3 upto a value of ten lakh rupees and the stamp duty on the higher than ten lakh rupees shall be calculated at the rate of eighty rupees per thousand rupees. In the transfer deed executed in favour of one woman or more and one man or more, if the share of the woman/women is specified, then, the stamp duty payable on such instrument mentioned in column-I above shall be reduced to the extent of the share of

the woman/women as mentioned in column 3. But if such share of the woman/women is not specified in the instrument, then, the stamp duty shall be payable on the instrument as if no reduction in stamp duty had been granted on such instrument.

By order, Sd/- Illegible SHEKHAR AGARWAL, Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 संख्या सं0विक0नि0–5–1504 / 11–2006–500(92)–2005 लखनऊ दिनांक 06 जुलाई, 2006 <u>अधिसूचना</u> आदेश

प0आ0-479

साधरण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय— समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम सं0—2 सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शिक्त का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 23 फरवरी, 2006 से अधिसूचना संख्या संविवकि०नि० —5— 462 / 11—2006—500(92)—2005, दिनांकः 23 फरवरी, 2006 द्वारा यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या— क0 संविव—5—3706 / 11—98— 500 (20)—98, दिनांक 31 अगस्त, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

## संशोधन

उपयुक्त अधिसूचना में, परन्तुक में शब्द ''किन्तु यदि स्त्री / स्त्रियों का ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है तो लिखित पर स्पम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा मानो ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकृत न की गई हो'' के स्थान पर शब्द ''किन्तु यदि स्त्री / स्त्रियों का ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है तो स्टाम्प शुल्क अनुसूची के खण्ड (क) और (ख) के अनुसार देय होगा।'' रख दिये जायेगें।

आज्ञा से, ह0अस्पष्ट प्रीतम सिंह, प्रमुख सचिव। जीम ळ्वअमतदवत पे चसमेंमक जव वतकमत जीम चनइसपबंजपवद वि जीम विससवूपदह म्दहसपी जतंदेसंजपवद वि जीम ळवअमतदउमदज दवजपपिबंजपवद दवण ण्टण्जण्छण.5.150४ध्ग1.2006.500;92द्ध.2005ए कंजमक श्रनसल ०६ए २००६ वित हमदमतंस पदवितउंजपवद रू

### छवण<sup>\*</sup>ण्टण्ज्ञण्छ.5.150४६४१.2006.500;92द्ध६२००५ स्नबादवू कंजमक श्रनसल ०६ए २००६

प्द मगमतबपेम विजीम चवूमते नदकमत बसंनेम द्भ विनः मबजपवद ;1द्भ वि मबजपवद 9 विजीम प्दकपंद "जंउच ।बजए 1899 ; ।बज दवण २ वि 1899द्ध उमदकमक वितउ जपउम जव जमपउम पद पजे चचसपबंजपवद विन्जजंत च्तंकमीए तमंक पजी मबजपवद २१ विजीम ळमदमतंस ब्संनेमे ।बजए 1897 ; ।बज दवण 10 वि 1897द्ध ए जीम ळवअमतदवत पे चसमेंमक जव उांमए पजी मििबज तिवउ थ्मइतनंतल २३ए २००६ए जीम विसस्वपदह उमदकमउमदज पद ळवअमतदउमदज दवजपिवंजपवद दवण इण्ण्टण.५.3706ध11.98.500;२०द्धध्8 कंजमक ।नहनेज ३१ए १९९८ उमदकमक इल दविपिवंजपवद दवण ५१504ध्र्य.2006.500;92द्धध्२००५ए कंजमक थ्मइनतंतल २३ए २००६ण

#### डम्छक्डम्छज

प्द जीम वितमेंपक दवजपिषंजपवदए पद जीम चतवअपेवए वित जीम वतकेए ष्टनज पिनबी तिम विजीम व्वउंद धूवउमद पे दव चमबपिमक पद जीम पदेजतनउमदजए जीमद जीम जंउच कनजल तिस इम चंलंइसम वद जीम पदेजतनउमदजए पिदव तमकनबजपवद पद जंउच कनजल कि इममद हतंदजमक वद नबी पदेजतनउमदजण जीम वतकेए ष्टनज पिनबी तिम विजीम वुउंदध्वउमद पे दवज चमबपिमक पद जीम पदेजतनउमदजए जीमद जीम जंउच कनजल तिस इम चंलंइसम पद बंबवतकंदबम पजी बसंनेमे द्वंद दक ;इद्ध विजीम बीमकनसमण िसस इम नेइजपजनजमकण

ठल वतकमतए किध्प्ससमहपइसम च्द्प्ज।डैप्छळभ्ए च्तंउनीैंबीपअण